

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./खट्टर ब्रदर्स/670/2313

भोपाल, दिनांक 06/02/2023

प्रति

मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल,
(M/s Khatter Brothers Oil Mill)
कचरवार रोड, साई नाथ पैरामेडिकल कॉलेज के बाजू में
उमरिया-484661 (मध्यप्रदेश)

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009
(यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ - मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल का आवेदन दिनांक 04/08/2022।

मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक में आवेदन दिनांक 19/09/2022 प्रस्तुत किया गया है जिसमें मध्यप्रदेश के कृषि उपज मंडी समिति उमरिया एवं कृषि उपज मंडी समिति शाहपुरा निवास के मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के क्रय हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति चाही गई है।

2. मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल के द्वारा नियम, 2009 में निर्धारित अनुसार प्रतिभूति स्वरूप रुपये 03 लाख मूल्य की एचडीएफसी बैंक की एफडीआर दिनांक 02/08/2022 मंडी बोर्ड में प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 02/08/2027 तक है।

3. मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ प्ररूप-पांच में करार, प्ररूप-छ: विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय में, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात में पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ में दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय / निर्गमन के संबंध में, उपाबंध-दो में पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी / विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

mail

5. नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल को कृषि उपज मंडी समिति उमरिया एवं कृषि उपज मंडी समिति शाहपुरा निवास मे अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के क्रय हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति अनंतिम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

C

(जी व्ही रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./खट्टर ब्रदर्स/670/2314

भोपाल, दिनांक 06/02/2023

प्रतिलिपि

1. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/ जबलपुर/ सागर/ ग्वालियर/ रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल उमरिया को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा मंडी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।
2. कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... (समस्त) (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल उमरिया को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी विशेष अनुज्ञप्ति उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन", "तिलहन", "वनोपज एवं कृषि औषधीय उपज" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराएं।
3. अपर संचालक (आईटी सेल), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारक मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल उमरिया को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में कराने हेतु।

C 11/02/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/21 दिनांक 06/01/2023

- 1 श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स मेसर्स खट्टर ब्रदर्स आयल मिल, (M/s Khatter Brothers Oil Mill) कचरवार रोड, साई नाथ पैरामेडिकल कॉलेज के बाजू में, उमरिया-484661 (मध्यप्रदेश) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु तारीख माह..... वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी जाती है :-

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	तिलहन/धान्य तथा दलहन/ वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	उमरिया	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति उमरिया जिला उमरिया	खट्टर ब्रदर्स आयल मिल गोडाउन	कच्छरवार रोड उमरिया	श्री किशोर मरवारी मो.नं.- 7489336080
2	तिलहन/धान्य तथा दलहन/ वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	शहपुरा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति शहपुरा (निवास) जिला डिण्डौरी	खट्टर ब्रदर्स आयल मिल गोडाउन	कच्छरवार रोड उमरिया	श्री किशोर मरवारी मो.नं.- 7489336080

6/01/23

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
1	तिलहन	2,000 मेट्रिक टन
2	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन
3	वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज	100 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अनंतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 06/01/2023 से 05/01/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।


5 यह अनंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:-

- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,

C
6/01/23

- (तीन) मण्डी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
 (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
 (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,
 (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
 (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
 कार्यालय की मोहर



6/00/23
 अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
 कार्यालय
 प्रबंध संचालक
 अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
 मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
 भोपाल (म.प्र.)